

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत राशनकार्ड आवेदन/सत्यापन प्रपत्र (ग्रामीण)

प्रारूप-1 (ए)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की धारा-13(1) के अनुसार प्रत्येक पात्र गृहस्थी में, वरिष्ठ स्त्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम की न हो, राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए, गृहस्थी की मुखिया होगी एवं धारा-1(2) के अनुसार जहाँ किसी गृहस्थी में किसी समय कोई स्त्री या 18 वर्ष से उससे अधिक आयु की स्त्री नहीं है, किन्तु 18 वर्ष से कम आयु की महिला सदस्य है, वहाँ गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य राशनकार्ड जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए गृहस्थी का मुखिया होगा और महिला सदस्य, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, ऐसे राशनकार्डों के लिए, ऐसे पुरुष सदस्य के स्थान पर, गृहस्थी की मुखिया बन जायेगी।

मुखिया
का
फोटो

भाग-एक

भाग-क

1.गृहस्थी की महिला मुखिया का नाम (हिन्दी में) (उपरोक्त दिए गए प्रावधान के अनुसार)	श्रीमती/कुमा/श्री			2. गृहस्थी के मुखिया का नाम (अंग्रेजी में) (उपरोक्त दिए गए प्रावधान के अनुसार)	Smt/Km/Shri		
3.पिता का नाम (हिन्दी में)	श्री			4. पिता का नाम (अंग्रेजी में)	Shri		
5.पति का नाम (हिन्दी में)	श्री			6. पति का नाम (अंग्रेजी में)	Shri		
7.वर्ष	सा०	अ०ज०जा०		8. मोबाइल नं०'	.	9	1
	अ०जा०	अ०पि०वा०					
9.बैंक खाते का विवरण (बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न करें)	(a) बैंक का नाम				(b) बैंक शाखा		
	(c) IFSC कोड				(d) बैंक खाता संख्या		
10. मुखिया का आधार कार्ड नं०					11. लिंग (मा०/पा०/अन्य)	12. पेशा/व्यवसाय	

भाग-ख

1.जन्म तिथि	/	/	/	/	वर्तमान आयु			वर्ष
2.वर्तमान निवास विवरण	(a) मकान संख्या				(b) ग्राम का नाम			
	(c) ग्राम पंचायत का नाम				(d) विकास खण्ड का नाम			
	(e) तहसील का नाम				(f) ज़िला का नाम			
3.स्थायी निवास विवरण	(a) मकान संख्या				(b) बिल्डिंग/आपार्टमेंट/सङ्क			
	(c) सेक्टर/खण्ड/मोहल्ला				(d) लैण्डमार्क			
	(e) वार्ड संख्या				(f) ग्राम पंचायत/ब्लॉक का नाम			
	(g) नगर बैंक का नाम				(h) ज़िला का नाम			
4. वर्तमान उचित दर विक्रेता का नाम				5. परिवार की कुल वार्षिक आय (शब्दों में)				
6. गैस कनेक्शन की स्थिति	हाँ	नहीं		7. गैस कनेक्शन का प्रकार	सिलेण्डर			पाइपलाइन
8. गैस कनेक्शन की संख्या				9. गैस एजेन्सी का नाम				
10. गैस कम्पनी का नाम				12. परिवार के पास विद्युत कनेक्शन	है		नहीं है	
13. विद्युत कनेक्शन संख्या				14. ई-मेल आईडी०				

13. परिवार का विवरण

क्र. सं.	सदस्य का नाम (हिन्दी में)	पिता/पति का नाम (हिन्दी में)	लिंग	मुखिया से सम्बन्ध	जन्म तिथि (dd/mm/yyyy)	आधार संख्या			सदस्य की कुल वार्षिक आय
1					— / — / —				
2					— / — / —				
3					— / — / —				
4					— / — / —				
5					— / — / —				
6					— / — / —				
7					— / — / —				
8					— / — / —				
योग (सकल संसाधनों से परिवार की कुल वार्षिक आय रु० में) परिवार का आय प्रमाण-पत्र संलग्न करें –									

मुखिया/वरिष्ठ परिवार सदस्य के हस्ताक्षर/निशानी
अँगूठा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

भाग—दो

निष्कासन के आधार (एक्स्क्लूजन क्राइटरिया)

1. क्या आयकर दाता है ?	हाँ	नहीं	
2. परिवार में चार पहिया वाहन है ?	हाँ	नहीं	
3. परिवार में ट्रैक्टर है ?	हाँ	नहीं	
4. परिवार में हारवेस्टर है ?	हाँ	नहीं	
5. परिवार में ए०सी० है ?	हाँ	नहीं	
6. परिवार में ५ के०वी०५० या उससे अधिक का जनरेटर है ?	हाँ	नहीं	
7. परिवार के समस्त सदस्यों के पास कुल उपलब्ध सिवित भूमि (एकड़ में)	हाँ	नहीं	
8. परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंसों की संख्या	हाँ	नहीं	

इन्क्लूजन क्राइटरिया (यदि निष्कासन आधार के अन्तर्गत न आते हों)

1. क्या व्यक्ति या उनके परिवार निम्न में से हैं –			
क. भिक्षापूति करने वाले	हाँ	नहीं	
ख. घरेलू काम-काज करने वाले	हाँ	नहीं	
ग. जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले	हाँ	नहीं	
घ. फैरी लगाने वाले/खोमचे वाले/रिक्ष चालक आदि	हाँ	नहीं	
च. कुष्ठ रोग/कैंसर/एडस से पीड़ित	हाँ	नहीं	
छ. अनाथ/माता-विहीन बच्चे	हाँ	नहीं	
ज. स्वच्छकार	हाँ	नहीं	
झ. डैनिक वेतनभौगी मजदूर यथा – कुमी, पल्लेदार आदि	हाँ	नहीं	
2. भूमिहीन मजदूरों के परिवार	हाँ	नहीं	
3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (राजस्व विभाग के अद्यावधिक आय प्रमाण – पत्र के आधार पर)	हाँ	नहीं	
4. परित्यक्त महिलायें	हाँ	नहीं	
5. परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला, विकलांग (कोई सदस्य भी) अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस परिवार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है।	हाँ	नहीं	
6. आवासहीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में ३० वर्ग मी० क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हों जो उनकी निजी भूमि पर हों तथा जिनमें वे स्वयं निवास करते हों।	हाँ	नहीं	

भाग—तीन

संलग्नक /आवश्यक (Compulsory) प्रविष्टि :-

1. परिवार के मुखिया की फोटो	संलग्न है	संलग्न नहीं है	
2. मुखिया के बैंक पासबुक के प्रथम पुष्ट की प्रति	संलग्न है	संलग्न नहीं है	
3. परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति	संलग्न है	संलग्न नहीं है	
4. परिवार का आय प्रमाण-पत्र	संलग्न है	संलग्न नहीं है	
5. मुखिया का निवास प्रमाण-पत्र (यदि आधार में वर्तमान पता अंकित न हो तो)	संलग्न है	संलग्न नहीं है	

मुखिया/परिवार के वरिष्ठतम सदस्य
के हस्ताक्षर/निशानी अँगूठा

केवल सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी हेतु

सत्यापन आख्या	1. क्या आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण की गयी हैं ?	हाँ	नहीं	
	2. क्या आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक संलग्नक संलग्न किए गए हैं ?	हाँ	नहीं	
	3. सत्यापनोपरान्त पायी गयी पात्रता/अपात्रता की स्थिति	पात्र	अपात्र	
	4. राशन कार्ड निर्गमन के सम्बन्ध में संस्तुति	निर्गमन योग्य पाया गया	निर्गमन योग्य नहीं पाया गया	

सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम –
मोबाइल नं० –

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।